

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in
E-Mail/ई-मेल: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UT TARAKHAND), INDIA

सं०सी- 4464 /725-हिन्दी अनुवादक

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक : विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र ।

निदेशक : भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन संस्थान/असम एवं नागालैण्ड
भू-स्था०आ०के०/झारखण्ड भू-स्था०आ०के०/कर्नाटक भू-स्था०आ०के०/तमिलनाडु,
पाण्डिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भू-स्था०आ०के०

विषय: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी से वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

निम्नलिखित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) के पद पर वेतन लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	श्रीमती के० प्रसन्ना लक्ष्मी	भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन संस्थान, हैदराबाद	भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन संस्थान, हैदराबाद
2.	श्री असीम वर्मा	असम एवं नागालैण्ड भू-स्था०आ०के०, गुवाहाटी	असम एवं नागालैण्ड भू-स्था०आ०के०, गुवाहाटी
3.	श्री राकेश कुमार तरुण	झारखण्ड भू-स्था०आ०के०, रांची	झारखण्ड भू-स्था०आ०के०, रांची
4.	श्रीमती एल० सुजाता	कर्नाटक भू-स्था०आ०के०, बंगलूरु	कर्नाटक भू-स्था०आ०के०, बंगलूरु
5.	श्रीमती चित्रा बक्शी	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भू-स्था०आ०के०, चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भू-स्था०आ०के०, चेन्नई


2. उपरोक्त पदोन्नति उनकी पात्रता की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 15-01-2024 तक अवश्य सूचित करें।

3. उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों "no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later." के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

क्रमशः.....2/-

5. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(I)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।
6. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.
8. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें ।


(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि :

1. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता ।
2. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 ।
3. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
4. इंचार्ज ई-आफिस (म0स0का0) ।
5. इंचार्ज वैब एडमिन (म0स0का0) ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद *SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित